

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 71 /2021

दिनांक 20.04.2021

श्रीमती नीलोफर तोमर (RJ1210), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालाखेडा(अलवर) को दिनांक 22.04.2021 से 31.05.2021 तक 40 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

श्री रमेश कुमार कराडिया (RJ1197), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, अलवर को श्रीमती नीलोफर तोमर के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालाखेडा(अलवर) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री रमेश कुमार कराडिया (RJ1197), अति. कार्यभार वाले न्यायालय में आनुकल्पिक समाह (Alternate week) क्रम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कैम्प कोर्ट करेंगे।।


आज्ञा से

20.04.2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी. 2(4)/75/2017/2606

दिनांक 20.04.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 10577 दिनांक 06.04.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्रीमती नीलोफर तोमर (RJ1210), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालाखेडा(अलवर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालाखेडा (अलवर)।
5. श्री रमेश कुमार कराडिया (RJ1197), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, अलवर।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, अलवर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार